NJESR/April 2025/Volume-7/Issue-4 E-ISSN-2582-5836
DOI-10.53571/NJESR.2025.7.4.52-65

ग्रामीण क्षेत्रों के तीव्र विकास हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से निर्मित सड़कों व पूलों पर किये गये व्ययों का वर्षवार, चरणवार व राज्यवार तुलनात्मक विश्लेषण

डॉ. लक्ष्मण परवाल,प्राध्यापक वाणिज्य संकाय,
स्वामी विवेकानंद शासकीय वाणिज्य महाविद्यालय रतलाम (म.प्र.)

(Received -15March2025/Revised-26 March2025/Accepted-10April2025/Published -28April 2025)

---

1. प्रस्तावना :

किसी भी देश का विकास उसके गांवों के विकास पर निर्भर करता है और गांवों के विकास में सड़कों का अहम् योगदान है। बौद्धिक चर्चाओं में यहां तक कहां गया है कि "राष्ट्र में सड़कें वही कार्य करती है, जो मानव शरीर में धमनियां एवं शिराएं करती है।'' जिस प्रकार धमनियों एवं शिराओं का काम है स्वच्छ रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक संचारित करना, उसी प्रकार सड़कें भी जीवन के लिये आवश्यक उपकरण, वस्तुएं एवं सेवाएं आदि एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाने का कार्य करती है। ग्रामीण सड़कें ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास की कुंजी है।

स्वतंत्रता के पश्चात् से सड़कों के माध्यम से ग्रामीण संपर्क सूत्रता को सुधारने के लिए कई प्रयास किये गये। इसके बावजूद देश में लगभग 40 प्रतिशत ग्रामीण बसावटें बारहमासी सड़कों से नही जुड़ पाई थी। यह भी सर्वविदित है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां भी सड़क सम्पर्क सुविधा उपलब्ध कराई गई थी वहां निर्मित ग्रामीण सड़कों की हालत (खराब निर्माण तथा रखरखाव की वजह से) ऐसी नहीं है कि उन्हे बारहमासी सड़कों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकें। इस स्थिति को सुधारने के लिए केन्द्र सरकार ने 25 दिसम्बर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) प्रारंभ की। इस योजना के अंतर्गत सड़कों से नहीं जुड़ी हुई ग्रामीण बसावटों को पक्की सड़कों से जोड़ने एवं बारहमासी सड़क सम्पर्कता उपलब्ध कराने की घोषणा की गई।

Created by Universal Document Converter

यह योजना 100 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है जो देश के सभी राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों में लागू है। इसका क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी के द्वारा किया जाता है। योजना का वित्तीयन केन्द्रीय सड़क निधि से किया जाता है। इस योजना में सिर्फ ग्रामीण सड़कों को शामिल किया गया है। योजनान्तर्गत बारहमासी सड़कों के निर्माण और पहले से निर्मित सड़कों की मरम्मत एवं सुधार को शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम के लिये हाई-स्पीड डीजल पर लगाए गये उपकर की राशि का 50 प्रतिशत भाग ग्रामीण सड़कों के विकास के लिये ग्रामीण विकास मंत्रालय को उपलब्ध कराया जाता है। इस कार्यक्रम के लिये विश्व बैंक तथा एशिया बैंक के द्वारा भी वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत अच्छी गुणवत्ता वाली मजबूत और टिकाऊ सड़कें बनाई जाती है। सड़कों की त्रिस्तरीय स्तरों पर जांच होती है। सड़क के निर्माता ठेकेदार अगले 05 वर्षो तक सड़क के रखरखाव और मरम्मत के लिए जिम्मेदार होते है। नई सड़कें बनाने के साथ ही पुरानी सड़कों की मरम्मत व रखरखाव का कार्य भी किया जाता है।

2. अध्ययन का क्षेत्र एवं अवधि :

प्रस्तुत शोध कार्य भारत के सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के तीव्र विकास हेतु निर्मित सड़कों व पूलों पर किये गये व्ययों से संबंधित है। प्रस्तुत शोध पत्र में वर्ष 2000 से वर्ष 2024 तक कुल 24 वर्षो में प्रथम, द्वितीय व तृतीय चरणों में ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित सड़कों व पूलों पर किये गये व्ययों का वर्षवार, चरणवार एवं राज्यवार विश्लेषण करने का प्रयास शोधकर्ता द्वारा किया गया है।

3. शोध प्रणाली :

यह शोध कार्य द्वितीयक समंकों पर आधारित है जो भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं इस योजना की नोडल एजेंसी- राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी की वेबसाईट पर प्रदर्शित वार्षिक रिपोर्टो से संग्रहित किये गये है। प्रस्तुत अध्ययन में लगभग 24 वर्षो के समंकों का तुलनात्मक विश्लेषण वर्षवार, चरणवार एवं राज्यवार के आधार पर किया गया है जिसमें औसत, प्रतिशत, अनुपात, रेखाचित्र व दण्डचित्र जैसी सांख्यिकीय एवं गणितीय विधियों का प्रयोग कर अपेक्षित निष्कर्ष निकाले गये है।

4. शोध के उद्देश्य :

Created by Universal Document Converter

प्रस्तुत शोध पत्र में यह अध्ययन किया गया है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के समावेशी विकास में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से देश के सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में निर्मित सड़कों व पूलों के निर्माण कार्यो पर किये गये वास्तविक व्ययों की क्या स्थिति है? वस्तुतः यह अध्ययन निम्न उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये किया गया है:

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीनों चरणों में से प्रत्येक चरण में सड़कों व पूलों के निर्माण कार्यो पर कुल कितना व्यय किया गया।
- देश के सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में योजनान्तर्गत तीनों चरणों में सड़कों व पूलों के निर्माण कार्यो पर कितना-कितना व्यय किया गया।
- योजना के माध्यम से अपने-अपने राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में सड़कों व पूलों के निर्माण कार्यो पर व्यय करने में कौन-कौन से राज्य अग्रणी भूमिका में रहे तथा कौन से राज्य गौण भूमिका में रहे।

5. विश्लेषणात्मक विवेचना -

(A) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीनों चरणों में राज्यों द्वारा निर्मित सड़कों/पूलों के निर्माण कार्यों पर किये गये व्ययों का वर्षवार विश्लेषण

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीनों चरणों में (वर्ष 2000 से लेकर वर्ष 2024 तक) भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा देश के सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित संघों को ग्रामीण क्षेत्रों में चिंहित की गई बसावटों को बारहमासी सड़कों व पूलों से जोड़ने की प्रक्रिया के अन्तर्गत स्वीकृत की गई राशियों में से राज्यों द्वारा वास्तविक रूप से व्यय की गई राशियों का लगभग 24 वर्षो का विवरण इस तालिका के माध्यम से प्रदर्शित किया है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)

तालिका क्र 7.7

तीनों चरणों में राज्यों द्वारा निर्मित सड़कों व पूलों के निर्माण कार्यो पर किये गये वास्तविक व्ययों का वर्षवार विश्लेषण

Created by Universal Document Converter

स. क्र.	वर्ष	प्रथम चरण (वर्ष 2000 से वर्ष 2012-13 तक)	द्वितीय चरण (वर्ष 2013-14 से वर्ष 2019-20 तक)	तृतीय चरण (वर्ष 2020-21 से वर्ष 2024-25 तक)	योग (वर्ष 2000 से वर्ष 2024-25 तक)
1	2000-04	6,530	-	-	6,530
2	2004-05	3,078	-	-	3,078
3	2005-06	4,115	-	-	4,115
4	2006-07	7,307	-	-	7,307
5	2007-08	10,619	-	-	10,619
6	2008-09	15,162	-	-	15,162
7	2009-10	18,834	-	-	18,834
8	2010-11	14,910	-	-	14,910
9	2011-12	10,945	-	-	10,945
10	2012-13	8,387	-	-	8,387
11	2013-14	-	13,096	-	13,096
12	2014-15	-	17,142	-	17,142
13	2015-16	-	16,542	-	16,542
14	2016-17	-	16,093	-	16,093
15	2017-18	-	17,307	-	17,307
16	2018-19	-	23,369	-	23,369
17	2019-20	-	21,722	-	21,722
18	2020-21	-	-	23,946	23,946
19	2021-22	-	-	27,828	27,828
20	2022-23	-	-	24,229	24,229
21	2023-24	-	-	20,302	20,302
22	2024-25	-	-	12,061	12,061
	योग	99,887	1,25,271	1,08,366	3,33,524
	प्रतिशत	30%	38%	32%	100%

स्रोत: वार्षिक रिपोर्ट-2012-13, 2019-20 एवं 2024-25, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार पृ.क्र. 208, 210, 285 एवं 402

तीनों चरणों में राज्यों द्वारा निर्मित सड़कों व पूलों के निर्माण कार्यो पर किये गये वास्तविक व्ययों का चरणवार विश्लेषण

Created by Universal Document Converter

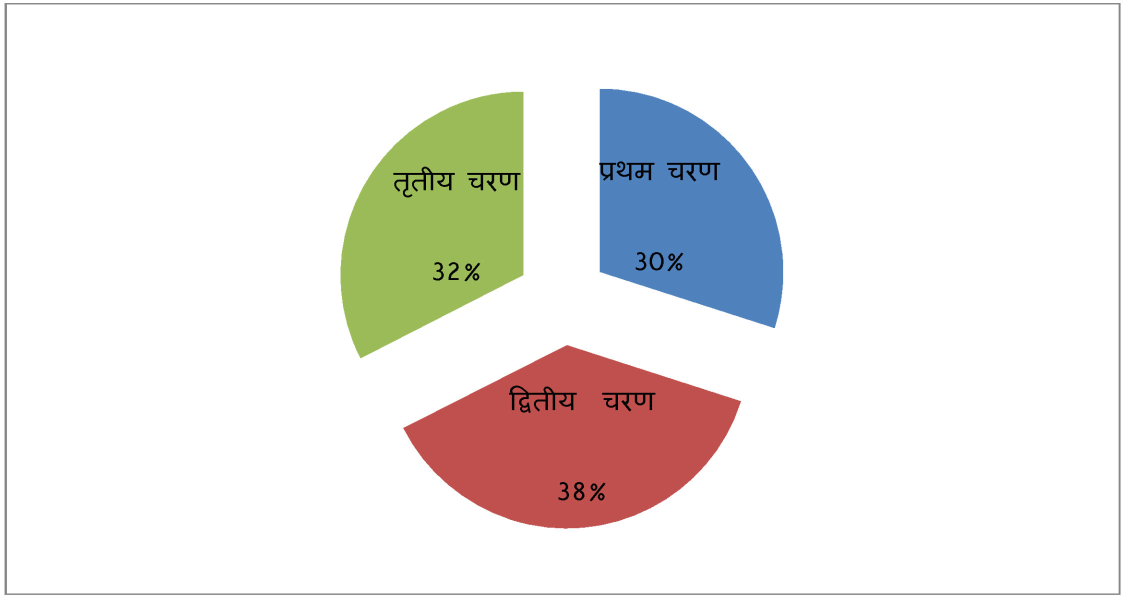

उपर्युक्त तालिका एवं चित्र से स्पष्ट होता है की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रथम चरण के 13 वर्षो में से प्रारंभिक 04-05 वर्षों में देश में राजनैतिक अस्थिरता के कारण भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में सडकों के निर्माण से सम्बंधित कोई ठोस कार्य प्रारंभ ही नहीं हो पाये क्योकि विभिन्न राज्यों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कवर की जाने वाली संपर्क-रहित बसावटों का वर्ग-वार ब्यौरा ही तैयार किया गया। इसके पश्चात् 1000+, 500+ एवं 250+ व्यक्तियों वाली पात्र सम्पर्क रहित बसावटों के निर्धारिण का कार्य किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों, पर्वतीय क्षेत्रों व सामान्य क्षेत्रों में सड़क निर्माण हेतु नीतिगत नियमों का गठन किया गया साथ ही इन नियमों के माध्यम से सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण, रखरखाव, उन्नयन नियंत्रण एवं प्रबंधन हेतु एक केन्द्रीय एजेंसी का गठन (स्वायत निकाय के रूप में) किया गया। यह केन्द्रीय एजेंसी ग्रामीण विकास मंत्रालय के तत्वावधान में दिनाँक 14 जनवरी 2002 को स्थापित की गई, जो राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेन्सी के नाम से जानी जाती है।

Created by Universal Document Converter

वर्ष 2005-06 से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण का कार्य प्रारम्भ हुआ जो वर्ष 2024-25 तक भी निरन्तर गतिमान है । लगभग 20 वर्षों में इस योजनान्तर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों के समावेशी विकास हेतु केन्द्र सरकार द्वारा कुल 3,33,524 करोड़ रु. व्यय किये गये है जो तीन चरणों में विभाजित है ।

योजना के प्रथम चरण में (दिसम्बर 2000 से वर्ष 2012-13 तक) कुल 99,887 करोड़ रू. राज्यों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित बसावटों को बारहमासी सड़क सम्पर्क सुविधा उपलब्ध कराने में व्यय किये गये । यह कुल व्यय का लगभग 30% भाग है इस चरण में ही सर्वाधिक सड़कों एवं पूलों का चयन कर उन्हें निर्मित करने हेतु स्वीकृत करने का कार्य किया गया ।

योजना के द्वितीय चरण में (वर्ष 2013-14 से वर्ष 2019-20 तक) कुल 1,25,271 करोड़ रु. राज्यों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित बसावटों को बारहमासी सड़क सम्पर्क सुविधा उपलब्ध कराने में व्यय किये गये । यह कुल व्यय का लगभग 38% भाग है । इस चरण में सड़कों के रखरखाव व उन्नयन पर अधिक व्यय किया गया । प्रथम चरण में निर्मित सड़कों के रखरखाव, उन्नयन तथा सड़कों के विस्तार पर अधिक व्यय किया गया, जिससे इस चरण में नई सड़कों का निर्माण कम ही हुआ । इस चरण में आरसीपीएलडब्ल्यूईए के अन्तर्गत उग्रवाद से प्रभावित 09 राज्यों के 44 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों को बारहमासी सड़कें उपलब्ध कराने हेतु निर्माण कार्य वर्ष 2016 से शुरु किया गया।

योजना के तृतीय चरण में (वर्ष 2020-21 से दिसम्बर 2024 तक) कुल 1,08,366 करोड़ रु राज्यों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में चिंहित बसावटों को बारहमासी सड़क संपर्क सुविधा उपलब्ध कराने में व्यय किये गये । यह कुल व्यय का लगभग 32% भाग है । इस चरण में भी द्वितीय चरण की तरह निर्मित सड़कोंके रखरखाव, उन्नयन तथा सड़कों के विस्तार पर अधिक व्यय किया गया । नई सड़कों का निर्माण कार्य अपेक्षाकृत कम ही हुआ । प्रथम व द्वितीय चरण में निर्मित सड़कों के रखरखाव, उन्नयन व विस्तार सहित आरसीपीएलडब्ल्यूईए के अन्तर्गत स्वीकृत सड़कों का निर्माण कार्य भी इस चरण में किया गया ।

(B) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीनों चरणों में निर्मित सड़कों व पूलों के निर्माण कार्यो पर किये गये वास्तविक व्ययों का राज्यवार विश्लेषण : -

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीनो चरणों में (वर्ष 2000 से लेकर वर्ष 2024 तक) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बारहमासी सड़कों के निर्माण हेतु राज्यों को जो राशियां स्वीकृत की गई उसमें से राज्यों द्वारा योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों की

Created by Universal Document Converter

बसावटों को बारहमासी सड़क/ पूल कार्यों के निर्माण पर जो वास्तविक व्यय किया गया, उसे शोधकर्ता ने तालिका क्र. 7.8 में विश्लेषित किया है ।

इस तालिका से यह स्पष्ट हो जायेगा कि भारत के सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित संघों में किन-किन राज्यों ने सर्वाधिक धनराशि का उपयोग कर अपने ग्रामीण क्षेत्रों को परिवहन / आवागमन की सुविधाओं से सशक्त बनाया है, कौन-कौन से राज्य ऐसे है जिन्होंने औसत रूप से कार्य किया है तथा किन राज्यों ने योजना का लाभ कम से कम प्राप्त किया है ।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)

तालिका क्र 7.8

तीनों चरणों में राज्यों/ केन्द्र शासित संघों द्वारा सड़क/ पूल के निर्माण कार्यो पर किये गये वास्तविक व्ययों का राज्यवार विवरण
(राशि : करोड़ रू. में)

Created by Universal Document Converter

स. क्र.	राज्य /संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्रथम चरण में व्यय की गई राशि (वर्ष 2000 से वर्ष 2012-13 तक)	द्वितीय चरण में व्यय की गई राशि (वर्ष 2013-14 से वर्ष 2019-20 तक)	तृतीय चरण में व्यय की गई राशि (वर्ष 2020-21 से वर्ष 2024-25 तक)	कुल व्यय की गई राशि	क्रम
1	अंडमान और निकोबार	0	0	41	41	31
2	आन्ध्रप्रदेश	3,862	82	2,205	6,149	17
3	अरुणाचल प्रदेश	1,555	3,933	4,642	10,130	13
4	असम	7,210	8,488	6,963	2,261	05
5	बिहार	11,978	14,523	9,508	36,009	01
6	छत्तीसगढ़	5,112	6,290	5,665	17,067	06
7	दमन व दीव	5	0	0	5	32
8	गोवा	5	0	0	5	32
9	गुजरात	1,476	1,925	1,551	4,952	18
10	हरियाणा	1,312	819	1,071	3,202	23
11	हिमाचल प्रदेश	1,700	2,895	3,524	8,119	15
12	जम्मू और कश्मीर	2,016	5,215	5,607	12,838	10
13	झारखंड	2,382	6,625	4,688	13,695	09
14	कर्नाटक	3,224	1,122	3,601	7,947	16

Created by Universal Document Converter

15	केरल	621	1,319	521	2,461	26
16	लद्दाख	0	0	835	835	29
17	मध्यप्रदेश	11,756	12,963	8,351	33,070	03
18	महाराष्ट्र	4,978	3,121	4,050	12,149	11
19	मणिपुर	737	1,901	2,196	4,834	20
20	मेघालय	255	995	1,868	3,118	24
21	मिजोरम	590	722	1,316	2,628	25
22	नागालैंड	465	342	588	1,395	28
23	ओड़िशा	9,722	15,618	7,768	33,108	02
24	पांडिचेरी	9	0	39	48	30
25	पंजाब	1,650	1,669	1,470	4,789	21
26	राजस्थान	8,478	4,632	3,724	16,834	08
27	सिक्किम	585	1,045	784	2,414	27
28	तमिलनाडु	1,766	3,891	3,425	9,082	14
29	तेलंगाना	0	3,028	1,838	4,866	19
30	त्रिपुरा	1,489	1,397	626	3,512	22
31	उत्तर प्रदेश	9,531	7,013	11,639	28,183	04
32	उत्तराखंड	1,118	4,004	5,231	10,353	12
33	पश्चिम बंगाल	4,300	9,694	3,031	17,025	07
	योग	**99,887**	**1,25,271**	**1,08,366**	**3,33,524**	-
	प्रतिशत	**30%**	**38%**	**32%**	**100%**	-

स्रोत: 01 वार्षिक रिपोर्ट-2012-13, 2019-20 एवं 2024-25, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार पृ.क्र. 210, 285 एवं 402

02 प्रथम चरण में तेलंगाना राज्य के समंक आंध्रप्रदेश राज्य में ही समाहित है

Created by Universal Document Converter

03 द्वितीय एवं तृतीय चरण में आँध्रप्रदेश से तेलंगाना का विभाजन हो जाने से समंक पृथक-पृथक ही दर्शाए गए है

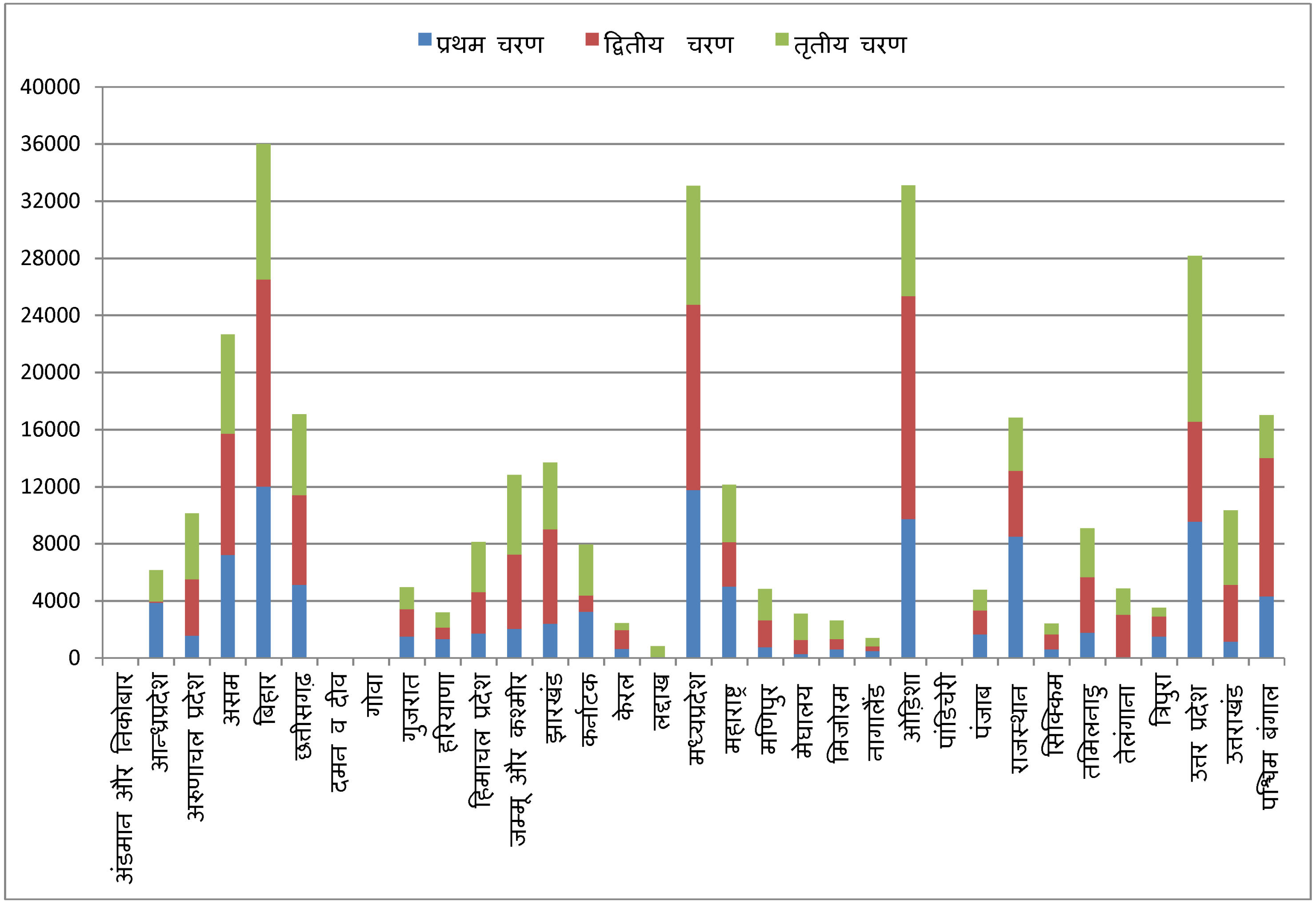

Created by Universal Document Converter

उपर्युक्त तालिका एवं चित्र से स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत तीनो चरणों में (वर्ष 2000 से वर्ष 2024 तक) भारत के सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित संघों ने नोडल एजेन्सी- राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेन्सी तथा राज्य स्तरीय ग्रामीण विकास एजेन्सियों की अनुशंसा के पश्चात् सड़क सम्पर्क (नवीन + उन्नयन + विस्तार) हेतु ग्रामीण क्षेत्रों की बसावटों को बारहमासी सड़क सुविधा उपलब्ध कराये जाने पर कुल 3,33,524 करोड़ रु. का भुगतान किया है। योजना के अन्तर्गत विभिन्न पैरामीटर्स (सड़कों की गुणवत्ता, निर्धारित मापदण्ड, रखरखाव, उचित निरीक्षण आदि) के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों की बसावटों में सड़क सम्पर्क (निर्माण व उन्नयन) की सुविधा उपलब्ध हो जाने की संवीक्षा के पश्चात् संबंधित निर्माण एजेन्सियों/ ठेकेदारों को यह राशि भुगतान की गई है। अलग-अलग राज्यों एवं संघों में कार्य की प्रकृति एवं पूर्णता की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह व्यय किया गया है।

तालिका क्र. 7.8 के विश्लेषण से यह स्पष्ट हो रहा है कि योजनान्तर्गत तीनों चरणों में ग्रामीण क्षेत्रों को बारहमासी सड़क सम्पर्क सुविधा उपलब्ध करवाने वाले 10 अग्रणी राज्यों का क्रम इस प्रकार रहा है :-

(1) बिहार राज्य ने कुल 36,009 करोड़ रु. व्यय किया है।
(2) ओड़िसा राज्य ने कुल 33,108 करोड़ रु. व्यय किया है।
(3) मध्यप्रदेश राज्य ने कुल 33,070 करोड़ रु. व्यय किया है।
(4) उत्तरप्रदेश राज्य ने कुल 28,183 करोड़ रु. व्यय किया है।
(5) असम राज्य ने कुल 22,661 करोड़ रु. व्यय किया है।
(6) छत्तीसगढ़ राज्य ने कुल 17,067 करोड़ रु. व्यय किया है।
(7) पश्चिम बंगाल राज्य ने कुल 17,025 करोड़ रु. व्यय किया है।
(8) राजस्थान राज्य ने कुल 16,834 करोड़ रु. व्यय किया है।
(9) झारखंड राज्य ने कुल 13,695 करोड़ रु. व्यय किया है।
(10) जम्मू एवं कश्मीर राज्य ने कुल 12,838 करोड़ रु. व्यय किया है।

इस योजना के माध्यम से देश के ग्रामीण क्षेत्रों की बसावटों को बारहमासी सड़क संपर्क सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु पिछले 24 वर्षों में कुल 3,33,524 करोड़ रुपए व्यय किए गए जिसमें से लगभग 69% राशि (अर्थात् 2,30,490 करोड़ रुपए) उपर्युक्त 10 राज्यों द्वारा ही व्यय की गई है। इसमें भी यह उल्लेखनीय है कि लगभग 31% राशि (अर्थात् 1,02,187 करोड़ रुपए) प्रथम 03 राज्यों (बिहार, ओड़िशा व मध्यप्रदेश राज्य) द्वारा ही व्यय की गई है। यदि प्रथम 05 राज्यों (बिहार, ओड़िशा, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश व असम) द्वारा व्यय की गई राशि का योग लगाया जाए तो यह लगभग 46 प्रतिशत राशि (अर्थात् 1,53,031 करोड़ रुपए) के बराबर होती है। इस प्रकार योजना के अंतर्गत कुल व्यय की गई राशियों में से प्रत्येक 100 रुपए के व्यय में से 69 रु. उपर्युक्त 10 राज्यों द्वारा ही व्यय किए गए हैं। प्रथम 03 राज्यों

Created by Universal Document Converter

द्वारा 100 रुपए में से 31 रुपए तथा प्रथम 05 राज्यों द्वारा 100 रुपए में से 46 रुपए व्यय किए गए हैं।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से अपने ग्रामीण क्षेत्रों की बसावटों को बारहमासी सड़क संपर्क सुविधाए उपलब्ध करवाने की दिशा में योजना अंतर्गत व्यय करने में औसत रुप से अगले 11 राज्यों का क्रम आता है, जिन्होंने कुल व्यय की गई राशि का लगभग एक चौथाई भाग अपने-अपने राज्यों में व्यय किया है। ये राज्य है :-

1. महाराष्ट्र राज्य द्वारा 12,149 करोड़ रु. व्यय किये गए है।
2. उत्तराखंड राज्य द्वारा 10,353 करोड़ रु. व्यय किये गए है।
3. अरुणाचल प्रदेश राज्य द्वारा 10,130 करोड़ रु. व्यय किये गए है।
4. तमिलनाडु राज्य द्वारा 9,082 करोड़ रु. व्यय किये गए है।
5. हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा 8,119 करोड़ रु. व्यय किये गए है।
6. कर्नाटक राज्य द्वारा 7,947 करोड़ रु. व्यय किये गए है।
7. आन्ध्रप्रदेश राज्य द्वारा 6,149 करोड़ रु. व्यय किये गए है।
8. गुजरात राज्य द्वारा 4,952 करोड़ रु. व्यय किये गए है।
9. तेलंगाना राज्य द्वारा 4,866 करोड़ रु. व्यय किये गए है।
10. मणिपुर राज्य द्वारा 4,834 करोड़ रु. व्यय किये गए है।
11. पंजाब राज्य द्वारा 4,789 करोड़ रु. व्यय किये गए है।

उपर्युक्त 11 राज्यों द्वारा कुल व्यय की गई राशि का योग 83,370 करोड़ रु. होता है, जो सभी राज्यों द्वारा व्यय की गई कुल राशि (3,33,524 करोड़ रु.) का लगभग 25% भाग है। अर्थात् इस योजनान्तर्गत कुल व्यय की गई राशियों में से प्रत्येक 100 रु. के व्यय में से 25 रु. उपर्युक्त 11 राज्यों द्वारा व्यय किये गये है।

इसी प्रकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से अपने ग्रामीण क्षेत्रों की बसावटों को बारहमासी सड़क सम्पर्क सुविधाएँ उपलब्ध करवाने की दिशा में सबसे पिछड़े राज्य जिन्होंने योजनान्तर्गत व्यय की गई कुल राशि का मात्र 06% भाग ही उपयोग अपने-अपने राज्यों में किया है। ये राज्य निम्न है:-

1. गोवा एवं दमन व दीव द्वारा मात्र 05-05 करोड़ रु. व्यय किये गए है।
2. अंडमान व निकोबार द्वीप द्वारा मात्र 41 करोड़ रु. व्यय किये गए है।
3. पांडिचेरी द्वारा मात्र 48 करोड़ रु. व्यय किये गए है।
4. लद्दाख द्वारा मात्र 835 करोड़ रु. व्यय किये गए है।
5. नागालैण्ड राज्य द्वारा मात्र 1,395 करोड़ रु. व्यय किये गए है।
6. सिक्किम राज्य द्वारा मात्र 2,414 करोड़ रु. व्यय किये गए है।

Created by Universal Document Converter

7. केरल राज्य द्वारा मात्र 2,461 करोड़ रु. व्यय किये गए है।
8. मिजोरम राज्य द्वारा मात्र 2,628 करोड़ रु. व्यय किये गए है।
9. मेघालय राज्य द्वारा मात्र 3,118 करोड़ रु. व्यय किये गए है।
10. हरियाणा राज्य द्वारा मात्र 3,202 करोड़ रु. व्यय किये गए है।
11. त्रिपुरा राज्य द्वारा मात्र 3,512 करोड़ रु. व्यय किये गए है।

उपर्युक्त 11 राज्यों द्वारा मात्र 19,664 करोड़ रु. ही योजनान्तर्गत व्यय किया गया है, जो कुल व्यय राशि (3,33,524 करोड़ रू.) का लगभग 6% भाग है। अर्थात् इस योजनान्तर्गत व्यय की गई कुल राशियों में से प्रत्येक 100 रु. के व्यय में से मात्र 06 रू. ही इन 11 राज्यों द्वारा व्यय किये गये हैं।

6. निष्कर्ष

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीनों चरणों में केन्द्र सरकार द्वारा कुल 3,33,524 करोड़ रू. व्यय किये गये है जिसमें से प्रथम चरण में इस व्यय का लगभग 30 प्रतिशत भाग, द्वितीय चरण में इस व्यय का लगभग 38 प्रतिशत भाग व तृतीय चरण में इस व्यय का लगभग 32 प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में नई सड़कों के निर्माण, रखरखाव, उन्नयन तथा विस्तार पर व्यय किया गया है। तीनों चरणों में ग्रामीण क्षेत्रों को बारहमासी सड़क सम्पर्क की सुविधा उपलब्ध करवाने में अग्रणी राज्यों में बिहार, ओडिशा, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, असम, छत्तीसगढ़ , पश्चिम बंगाल, राजस्थान, झारखंड व जम्मू एवं कश्मीर राज्य रहे है जिनका क्रम क्रमशः 01 से 10 के बीच रहा है। इन 10 राज्यों में कुल व्यय की गई राशि का 69 प्रतिशत राशि व्यय हुई है।

इसी प्रकार योजनान्तर्गत अपने ग्रामीण क्षेत्रों में बारहमासी सड़क सम्पर्क की सुविधा उपलब्ध कराने पर व्यय करने में सबसे पिछड़े राज्यों में गोवा, दमन व दीव, अंडमान व निकोबार, पांडिचेरी, लद्दाख, नागालैंड, सिक्किम, केरल, मिजोरम, मेघालय, हरियाणा व त्रिपुरा राज्य रहे है। इन सब राज्यों में मिलाकर कुल व्यय की गई राशि का मात्र 06 प्रतिशत भाग ही व्यय किया गया है।

7. संदर्भ सूची

- ❖ वार्षिक रिपोर्ट - 2012-13, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
- ❖ वार्षिक रिपोर्ट - 2019-20, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
- ❖ वार्षिक रिपोर्ट - 2024-25, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
- ❖ वार्षिक रिपोर्ट - 2012-13, राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार

Created by Universal Document Converter

- वार्षिक रिपोर्ट - 2019-20, राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
- वार्षिक रिपोर्ट - 2024-25, राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
- आर्थिक विकास और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, डॉ. विजय कुमार दीक्षित, राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली
- ग्रामीण विकास एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, डॉ. प्रीति जैन, सत्यम पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्युटर्स, जयपुर
- www.pmgsy.online.nic.in
- www.omms.nic.in

----------------00-----------------

Created by Universal Document Converter